



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद जयपुर

कृषि यंत्र निर्माता / विक्रेता पंजीयन पत्र

रजि. न. MDS/2024-25/4024

रजि. दिनांक 15-Sep-2024

रजि. वैधता दिनांक 31-Mar-2027 तक

कृषि यंत्र निर्माता / विक्रेता द्वारा ऑनलाईन आवेदन के आधार पर मै. SHREE MARUTI AGRO पता चौमू जयपुर राजस्थान 303702 का कृषि यंत्र अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत विक्रय हेतु पंजीयन किया जाता है।

अनुमोदित यंत्रों का विवरण :-

1. Chaff Cutter (0, Less-
than 20/Below 3 HP)

4. चॉफ कटर (3 फीट तक) (0)

2. Chaff Cutter (0, 20-35/3-
5 HP)

5. फर्टीलाइजर स्प्रेडर – पीटीओ
ऑपरेटेड (0, > 35/Above 5
HP)

3. Chaff Cutter (0, >
35/Above 5 HP)

6. सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (11
Tines, > 35/Above 5 HP)

शर्तें :-

- पंजीकरण की वैधता अवधि पंजीकरण की दिनांक से तीन वर्ष तक की होगी।
- कृषि यंत्रों पर सुस्पष्ट व दर्शनीय स्थान पर अधिकतम खुदरा मूल्य को अंकन तथा वेबसाइट पर एवं शोरूम पर अंकित एमआरपी के समान ही करना अनिवार्य है।
- कृषि यंत्रों पर प्रमुख स्थान पर पठनीय अक्षरों में कृषि विभाग द्वारा अनुदानित वर्ष पेन्ट द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
- कृषि यंत्र विक्रय के पश्चात एक वर्ष तक सेवा देना अनिवार्य होगा तथा तीन वर्ष तक आवश्यक स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराया जाए।
- कृषि यंत्र विक्रय के पश्चात उपयोगकर्ता विवरणिका प्रदान की जायेगी तथा मशीन के संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।
- खतरनाक मशीनरी जैसे थ्रेसर क्रय करने पर कृषक को बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा करवाने हेतु प्रोत्साहित करें।
- समय समय पर जारी समस्त विभागीय दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आपूर्ति किये गये कृषि यंत्रों के निम्न गुणवत्ता का पाये जाने पर संबंधित निर्माता / विक्रेता का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
- निर्माता / विक्रेता द्वारा कृषि यंत्रों पर ब्राण्ड व निर्माता अंकित करना अनिवार्य है।



Scan to verify this licence

